

न्यायालय:- आसिफ अहमद अब्बासी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, तहसील चंदेरी
चन्देरी जिला-अशोकनगर म0प्र0

दांडिक प्रकरण क-757 / 14

संस्थित दिनांक- 26.12.2014

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा
आरक्षी केन्द्र चंदेरी
जिला अशोकनगर।

.....अभियोजन

विरुद्ध

राजेन्द्र पुत्र विशाल सिंह सोलंकी उम्र 38 साल
निवासी ग्राम ग्राम गरेठी तहसील पिपरई
जिला अशोकनगर म0प्र0

.....अभियुक्त

—: निर्णय :—

(आज दिनांक 17.11.2017 को घोषित)

- 01—अभियुक्त के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 452, 294, 186, 189, 506बी के दण्डनीय अपराध के आरोप है कि उसने दिनांक 16.09.2014 को शाम करीब 03:00 बजे पंचम नगर कॉलोनी चंदेरी में फरियादी राजेंद्र को लोक स्थान पर अश्लील गालियां देकर उसे तथा वहां उपस्थित अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर फरियादी राजेंद्र के शासकीय आवास में फरियादी राजेंद्र को उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर फरियादी राजेंद्र के द्वारा लोक सेवक के नाते किये जा रहे लोक कर्तव्य कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा उत्पन्न कि एवं फरियादी को संत्राष कारित करने के आशय की से जान से मारने की धमकी दी एवं उक्त धमकी इस प्रयोजन से देकर फरियादी को उत्प्रेरित किया कि वह लोक सेवक के कृत्यों के प्रयोग से संसक्त कोई कार्य करे या करने से प्रविरत रहे, या करने में विलंब करें।
- 02—अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 16.09.2014 को शाम करीबन 03:00 बजे फरियादी राजेंद्र श्रीवास्तव राजस्व निरीक्षक वृत्त 2 अपना निवास एसडीएम निवास के सामने शासकीय आवास में बैठा था एवं जाति प्रमाण पत्र टीप पर हस्ताक्षर कर रहा था, तभी ग्राम गरेठी निवासी राजेंद्र पुत्र विशाल सिंह सोलंकी राजेंद्र श्रीवास्तव के कमरे में अंदर आकर मुख्यमंत्री कुटीर के लगभग 10 आवेदन पर टीप लगाने को कहने लगा, तब राजेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि आप फार्म रख दें, या तहसील कार्यालय में जमा कर दें। इस पर उत्तेजित

होकर तेज आवास में अभद्र व्यवहार पर उतारू हो गया था और कुटीरों के फार्मों को फाड़कर उनका मोबाइल से वीडियो बनाने लगा, इस पर राजेंद्र श्रीवास्तव न उससे निवास से चले जाने को कहा तो राजेंद्र सोलंकी ने राजेंद्र श्रीवास्तव को ग्राम गरेठी में जाने पर जान से मारने की धमकी दी। जिससे राजेंद्र श्रीवास्तव मानसिक रूप से बहुत दुखी हुआ। फरियादी राजेंद्र श्रीवास्तव द्वारा पुलिस थाना चंदेरी में अभियुक्त के विरुद्ध रिपोर्ट लेखबद्ध कराई। फरियादी की रिपोर्ट पर से अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस थाना चंदेरी के अपराध क्रमांक 400/14 अंतर्गत धारा- 452, 294, 186, 189, 506बी भा0द0वि0 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में विवेचना की गई बाद आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विचारण हेतु न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

03—प्रकरण में उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.05.2017 को फरियादी राजेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा अभियुक्त से राजीनामा करने बाबत आवेदन अंतर्गत धारा 320 (2) व 320 (8) द0प्र0स0 के प्रस्तुत किये गये जिन्हें स्वीकार करते हुये अभियुक्त को भा0द0वि0 की धारा 294, 506 बी के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप से दोषमुक्त घोषित किया गया। अभियुक्त पर आरोपित भा0द0वि0 की धारा 452, 186, 189 शमनीय प्रकृति की न होने से उक्त धारा के तहत अभियुक्त पर विचारण किया गया।

04—अभियुक्त को उसके विरुद्ध लगाये गये दण्डनीय अपराध को आरोप पढ कर सुनाये गये उसने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्त का परीक्षण अंतर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

05—प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :-

1.	क्या अभियुक्त ने दिनांक 16.09.2014 को शाम करीब 03:00 बजे थाना चंदेरी अंतर्गत पंचम नगर कॉलोनी में फरियादी राजेंद्र के शासकीय आवास में फरियादी को उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया ?
2.	क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी राजेंद्र जो कि, एक लोक सेवक है, के कृत्यों के

	निर्वहन में स्वेच्छया बाधा उत्पन्न की ?
3.	क्या उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी राजेंद्र इस प्रयोजन से धमकी दी थी, वह उत्प्रेरित होकर लोक सेवक के कृत्यों के प्रयोग से संसक्त कोई कार्य करे या करने से प्रविरत रहे, या करने में विलंब करें ?
4.	दोष सिद्धि अथवा दोष मुक्ति ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1, 2, 3 व 4 का विवेचन एवं निष्कर्ष

- 06— सुविधा की दृष्टि से एवं प्रकरण में आई साक्ष्य की पुर्नावृत्ति को रोकने के लिये उपरोक्त विचारणीय प्रश्नों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है। फरियादी राजेंद्र श्रीवास्तव (अ0सा0-1) के अनुसार उसके कथन देने के दिनांक से लगभग 3 साल पहले शाम 4-5 बजे वह अपने निवास के बाहर खड़ा था, तो अभियुक्त वहां आया और उसे बुरा भला कहने लगा और तेज तेज चिल्लाने लगा तथा कार्यवाही करने की धमकी देने लगा। इस साक्षी के अनुसार अभियुक्त का कहना था कि वह उसका काम नहीं करता है इसी बात पर विवाद हुआ था। राजेंद्र श्रीवास्तव (अ0सा0-1) का कहना है कि उसने इस घटना की सूचना मौखिक थाना चंदेरी में दी थी तथा थाने पर किसी दिवान के कहने पर हस्ताक्षर कर दिये थे, इस साक्षी ने प्रदर्श-पी-1 का लिखित आवेदन अपने हस्तलिपि में न होना बताया है, परन्तु प्रदर्श-पी-1 आवेदन एवं प्रदर्श-पी-2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किये है।
- 07— फरियादी राजेंद्र श्रीवास्तव (अ0सा0-1) के अभियोजन के समर्थन में यह तो स्वीकार करता है, कि उसके शासकीय आवास पर अभियुक्त ने आकर विवाद किया था, परन्तु इस साक्षी के अनुसार उक्त विवाद तब हुआ जब वह अपने निवास के बाहर खड़ा था इस साक्षी का कही भी यह कहना नहीं है कि अभियुक्त ने उसके घर में घुसकर कोई विवाद किया था बल्कि उसके विपरीत इस साक्षी ने प्रदर्श-पी-1 के आवेदन में वर्णित घटना की कोई रिपोर्ट न तो पुलिस को लेख कराना बताया है और नही उक्त आवेदन थाने पर दिया जाना बताया है। फरियादी ने इस बात का स्पष्ट खण्डन किया है कि उसके शासकीय आवास में अभियुक्त ने मुख्यमंत्री कुटिर के आवेदन पर टीप न लगाने

पर से अभद्र व्यवहार किया था।

- 08— अभियोजन की ओर से अपने समर्थन में पटवारी बलवीर (अ0सा0—2) व कृष्णपाल (अ0सा0—3) सहित स्वतंत्र साक्षी विजय कुमार (अ0सा0—5) के कथन भी न्यायालय में कराये गये हैं। विजय कुमार (अ0सा0—5) का अपने कथनों में कहना है कि वह किसी काम से फरियादी के शासकीय आवास पर गया था, जहां किसी काम से आये व्यक्ति से फरियादी का विवाद हो गया था। जिसे देखकर वह मौके से चला गया था। इस साक्षी ने इस संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया कि जिस व्यक्ति का विवाद आर0आई0 से होता था, वह व्यक्ति अभियुक्त था तथा विजय कुमार (अ0सा0—5) का अपने संपूर्ण कथनों में यह भी नहीं कहना है कि उक्त विवाद शासकीय आवास के अंदर हुआ था।
- 09— बलवीर सिंह (अ0सा0—2) का अपने कथनों में कहना है कि वर्ष 2014 में फरियादी अपने आवास में अंदर काम कर रहा था और वह लोग बाहर बैठे थे जहां काफी भीड़-भाड़ थी, तथा हस्ताक्षर कराने को लेकर उस समय किसी व्यक्ति का आर आई से विवाद हो गया था और जब वह हु—हल्ला सुनकर अंदर पहुंचे, तो विवाद शांत हो गया था। इस साक्षी ने विवाद करने वाले व्यक्ति का नाम तो राजेंद्र बताया है, परन्तु यह साक्षी इस बात की पहचान नहीं कर सका कि अभियुक्त ही वह व्यक्ति था।
- 10— कृष्णभान (अ0सा0—3) का भी यह कहना है कि 2014 में फरियादी के क्वार्टर में जब विवाद हुआ था, तब वह फरियादी के साथ में था। इस साक्षी के अनुसार एक व्यक्ति मुख्यमंत्री आवास की फाईल को पास करने का दबाव फरियादी पर बना रहा था और जब फरियादी ने उस व्यक्ति से कहा कि इसकी जांच करने में समय लगेगा, तो उस व्यक्ति ने अपनी फाईल फाड़ कर फरियादी की झूठी शिकायत करने की धमकी दी। कृष्णभान (अ0सा0—3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में यह व्यक्त किया है कि विवाद क्वार्टर में हुआ था, परन्तु इस साक्षी का अपने मुख्यपरीक्षण में यह भी कहना है कि विवाद करने वाला व्यक्ति अभियुक्त नहीं था और नहीं उसने पुलिस को यह बताया था कि अभियुक्त राजेंद्र ने कमरे में आकर फरियादी से विवाद किया था।
- 11— फरियादी राजेंद्र श्रीवास्तव (अ0सा0—1) ने अपने न्यायालीन कथनों में इस बात पर तो अभियोजन का समर्थन किया है कि अभियुक्त ने उसके शासकीय

आवास पर आकर उसके साथ मुंहवाद किया था तथा साक्षी विजय कुमार (अ0सा0-5) सहित साक्षी बलवीर सिंह (अ0सा0-2) व कृष्णभान (अ0सा0-3) ने भले ही अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में कथन न दिये हो, परन्तु इन साक्षियों के कथनों से इस बात की पुष्टि होती है कि यह साक्षी जिस व्यक्ति से घटना दिनांक को आर0आई0 का विवाद होना बता रहे हैं वह व्यक्ति अभियुक्त था। अतः मुख्य रूप से यह देखा जाना है कि अभियुक्त ने वास्तव में घटना दिनांक को फरियादी को उपहति कारित करने की तैयारी के साथ अथवा सदोष अवरोध अथवा हमला करने की तैयारी के साथ उसके शासकीय आवास में प्रवेश कर विवाद किया था अथवा नहीं।

12- फरियादी राजेंद्र (अ0सा0-1) के अनुसार घटना के समय वह अपने शासकीय आवास के बाहर खड़ा था, जब अभियुक्त ने विवाद किया था तथा साक्षी ने इस बात का खण्डन किया है कि घटना उसके शासकीय आवास के अंदर की नहीं है और न ही उसने इस संबंध में पुलिस को कोई रिपोर्ट लेख कराई। कृष्णभान (अ0सा0-3) हालांकि अपने न्यायालीन कथनों में मुख्यमंत्री आवास की फाईलों को पास कराने को लेकर किसी व्यक्ति को फरियादी के क्वार्टर में विवाद होना अवश्य बताता हैं, परन्तु वह व्यक्ति अभियुक्त था, इस बात का खण्डन स्वयं ही यह साक्षी अपने मुख्यपरीक्षण में करता है। बलवीर (अ0सा0-2) भी अपने कथनों में यह कहता है कि फरियादी घटना के समय अपने आवास में अंदर काम कर रहे थे और वह बाहर बैठा था तथा किसी व्यक्ति ने हस्ताक्षर कराने को लेकर आर आई से विवाद किया था, परन्तु वह व्यक्ति अभियुक्त था इस बात पर इस साक्षी ने भी अभियोजन का समर्थन नहीं किया। इसी प्रकार विजय कुमार (अ0सा0-5) भी आर आई निवास में फरियादी का किसी व्यक्ति से विवाद होने के संबंध में तो कथन देता है, परन्तु वह व्यक्ति अभियुक्त था, इस संबंध में इस साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया।

13- बलवीर (अ0सा0-2) कृष्णभान (अ0सा0-3) व विजय कुमार (अ0सा0-5) के द्वारा अपने कथनों में निश्चित रूप से घटना फरियादी के शासकीय आवास के अंदर की बताई गई है, परन्तु उक्त घटना अभियुक्त के द्वारा कारित की गई, इस संबंध में इन तीनों ही साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। वही स्वयं फरियादी राजेंद्र कुमार (अ0सा0-1) घटना शासकीय आवास के बाहर की होना बताता है तथा प्रदर्श-पी-1 की घटना पुलिस को लेख न किया जाना बताता है अतः घटना शासकीय आवास के अंदर की है, इस संबंध में स्वयं फरियादी अभियोजन का समर्थन नहीं करता है, वही अन्य साक्षीगण यह बताने

की स्थिति में नहीं है घटना वास्तव में अभियुक्त के द्वारा कारित की गई।

- 14— अनुसंधानकर्ता अधिकारी उपनिरीक्षक मदनलाल मरावी (अ0सा0-4) का कहना है कि उसने फरियादी की निशानदेही पर घटना स्थल मानचित्र प्रदर्श-पी-3 तैयार किया था तथा मानचित्र प्रदर्श-पी-3 के अनुसार घटना फरियादी के शासकीय आवास के अंदर बरामदे का होना चिन्हित किया गया है, परन्तु स्वयं फरियादी के द्वारा घटना अपने शासकीय आवास के बाहर बताई गई अतः स्वयं फरियादी के कथनों से प्रदर्श-पी-3 में दर्शाये गये घटना स्थल की पुष्टि नहीं होती है। प्रदर्श-पी-3 अपने आप में उसमें दर्शाये गये घटना स्थल का निश्चायक प्रमाण नहीं हैं, उसे फरियादी की मौखिक साक्ष्य से साबित किया जाना था, जो फरियादी के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण साबित नहीं हो सका। अतः अभिलेख पर आई साक्ष्य यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक को अभियुक्त ने फरियादी के शासकीय आवास में फरियादी को उपहति कारित करने अथवा सदोष अवरोध कारित करने या हमला करने की तैयारी करके गृहअतिचार कारित किया।
- 15— राजेंद्र श्रीवास्तव (अ0सा0-1) का कहना है कि घटना के समय वह अपने निवास के बाहर खड़ा था और अभियुक्त ने उससे आकर कहा था, कि वह उसका काम नहीं करता है और इसी बात पर वह बुरा भला कहने लगा था। फरियादी के कथनों से स्पष्ट है कि वह घटना के समय कोई शासकीय कार्य नहीं कर रहा था तथा फरियादी ने यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि किस कार्य को लेकर अभियुक्त ने विवाद किया था। बलवीर (अ0सा0-2) एवं विजय कुमार (अ0सा0-5) ने भी अपने न्यायालीन कथनों में विवाद होने का कोई कारण स्पष्ट नहीं किया है। बलवीर (अ0सा0-2) का अपने मुख्यपरीक्षण में मात्र यह कहना है कि किसी राजू के कागज के संबंध में विवाद हुआ था, परन्तु किन कागजों को लेकर किस व्यक्ति से फरियादी का विवाद हुआ, यह साक्षी ने स्पष्ट नहीं किया है।
- 16— कृष्णभान (अ0सा0-3) ने हालांकि अपने मुख्यपरीक्षण में व्यक्त किया है कि विवाद का कारण मुख्यमंत्री आवास की फाईलों को पास करने का दबाव फरियादी पर बनाना था, जिसे पास करने में फरियादी के द्वारा समय लगने का कहा गया था, परन्तु वास्तव में उक्त दबाव अभियुक्त के द्वारा बनाया गया या अभियुक्त के द्वारा दबाव बनाने के लिये फरियादी के शासकीय कार्य में बाधा डाली गई या अभियुक्त के द्वारा कोई धमकी दी गई इस संबंध में इस साक्षी ने

अभियोजन का समर्थन नहीं किया।

- 17- फरियादी सहित साक्षियों के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने के कारण अभियोजन के द्वारा सभी साक्षियों को पक्षविरोधी कर उनका विस्तृत परीक्षण किया गया, परन्तु फरियादी सहित किसी भी साक्षी ने इस बात पर अभियोजन का समर्थन नहीं किया कि अभियुक्त राजेंद्र ने फरियादी के निवास पर आकर मुख्यमंत्री कुटीर योजना के 10 आवेदनों पर फरियादी के टीप लगाने से मना करने पर विवाद किया था तथा मौके पर आवेदनों को फाड़कर उसका मोबाईल से वीडियो बनाया था। अतः घटना के समय फरियादी कोई शासकीय कार्य कर रहा था तथा अभियुक्त ने शासकीय कार्य में कोई बाधा उत्पन्न की इस संबंध में स्वयं फरियादी के द्वारा अभियोजन का समर्थन न करने एवं अन्य साक्षियों के द्वारा अभियुक्त के द्वारा उक्त घटना कारित न किये जाने के संबंध में दिये गये कथनों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक को फरियादी के द्वारा किये जा रहे किसी लोक कर्तव्य के निर्वाहन में बाध उत्पन्न की।
- 18- जहां तक अभियुक्त के द्वारा फरियादी को दी गई धमकी का प्रश्न है तो फरियादी का अपने कथनों में कहना है कि अभियुक्त ने उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की धमकी दी थी, परन्तु घटना के संबंध में प्रस्तुत किये गये आवेदन प्रदर्श-पी-1 एवं पुलिस द्वारा लेखबद्ध की गई रिपोर्ट प्रदर्श-पी-2 में वर्णित घटना से फरियादी राजेंद्र श्रीवास्तव (अ0सा0-1) के द्वारा दिये गये उपरोक्त कथन मेल नहीं खाते हैं क्योंकि प्रदर्श-पी-1 आवेदन एवं प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श-पी-2 के अनुसार अभियुक्त ने फरियादी के ग्राम गरेठी में आने पर उसे जाने से मारने की धमकी दी। अतः फरियादी के द्वारा अभियुक्त के द्वारा दी गई धमकी के संबंध में न्यायालय में दिये गये कथन एवं पुलिस को लेख कराई गई घटना में स्पष्ट विरोधाभास देखा जा सकता है।
- 19- बलवीर (अ0सा0-2) का अपने कथनों में कहीं भी यह कहना नहीं है कि अभियुक्त ने फरियादी को कोई धमकी दी थी बल्कि इस साक्षी ने स्वयं अभियोजन के द्वारा किये गये परीक्षण में अभियुक्त के द्वारा धमकी दिये जाने की घटना का खण्डन किया है। कृष्णभान (अ0सा0-3) का भी अभियोजन घटना के विरुद्ध यह कहना है कि अभियुक्त ने फरियादी को झूठी शिकायत करने की धमकी दी थी तथा इस साक्षी ने भी अभियोजन के द्वारा किये गये परीक्षण में अभियुक्त के द्वारा धमकी दिये जाने की घटना का खण्डन किया है।

साक्षी विजय कुमार (अ0सा0-5) ने अपने न्यायालीन कथनों में इस संबंध में कोई कथन नहीं दिये। वही अभियोजन के द्वारा किये गये परीक्षण में भी अभियुक्त के द्वारा धमकी दिये जाने की घटना का इस साक्षी ने भी खण्डन किया है।

- 20- अतः अभियुक्त ने फरियादी को इस आशय की धमकी दी थी कि “फरियादी के ग्राम गरेठी में आने पर अभियुक्त उसे जान से खत्म कर देगा” के संबंध में फरियादी सहित अभियोजन साक्षियों के द्वारा अभियोजन के समर्थन में कोई कथन न देने से उपरोक्त घटना की पुष्टि के लिये अभिलेख पर कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि भा0द0वि0 धारा 189 के अंतर्गत लोक सेवक को दी गई धमकी, तब अपराध की श्रेणी में आती है जबकि वह इस प्रयोजन से दी गई हो कि लोक सेवक को उत्प्रेरित किया जावे कि वह लोक सेवक के कृत्यों के प्रयोग से संसक्त कोई कार्य करे या करने से प्रविरत रहे, या करने में विलंब करें।
- 21- प्रकरण में फरियादी सहित अभियोजन साक्षियों के द्वारा दिये गये कथनों के आधार पर सर्वप्रथम तो यह प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त का जब फरियादी से कोई विवाद हुआ तो फरियादी कोई शासकीय कार्य कर रहा था जिसमें अभियुक्त के द्वारा कोई बाधा उत्पन्न की गई। फरियादी का यह कहना कि अभियुक्त ने इस कारण से विवाद किया था कि उसका कहना था कि वह उसका कोई काम नहीं करता और उसने इसी कारण से यह धमकी दी थी कि उसके विरुद्ध कार्यवाही करेगा। यदि तर्क के लिये यह मान भी लिया जावे कि अभियुक्त ने उक्त आशय की धमकी फरियादी को दी थी, तो इस आशय की धमकी किसी कार्य के न होने पर दिया जाना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। इस प्रकार की धोंस दिये जाने से कहीं भी यह साबित नहीं होता है कि अभियुक्त का आशय फरियादी इस बाबत उत्प्रेरित करना था, कि वह लोक सेवक के कृत्यों के प्रयोग से संसक्त कोई कार्य करे या करने से प्रविरत रहे, या करने में विलंब करें।
- 22- फलस्वरूप अभिलेख पर आई साक्ष्य एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 16.09.2014 को शाम करीब 03:00 बजे पंचम नगर कॉलोनी चंदेरी में फरियादी राजेंद्र के शासकीय आवास में फरियादी राजेंद्र को उपहति कारित करने की तैयारी के साथ प्रवेश कर फरियादी राजेंद्र के द्वारा

लोक सेवक के नाते किये जा रहे लोक कर्तव्य कृत्यों के निर्वहन में स्वेच्छया बाधा उत्पन्न कि एवं फरियादी को इस प्रयोजन से जान से मारने की धमकी दी की उक्त धमकी से उत्प्रेरित होकर लोक सेवक के कृत्यों के प्रयोग से संसक्त कोई कार्य करे या करने से प्रविरत रहे, या करने में विलंब करें।

23- फलतः अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र विशाल सिंह सौलकी के विरुद्ध भा0द0वि0 की धारा 452, 186, 189 के आरोप प्रमाणित न होने से अभियुक्त राजेन्द्र पुत्र विशाल सिंह सौलक को भा0द0वि0 की धारा 452, 186, 189 के तहत दण्डनीय अपराध के आरोप में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

24- अभियुक्त की न्यायिक निरोध में गुजारी गई अवधि दण्ड में समायोजित की जावे। धारा 428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र तैयार किया जावे। अभियुक्त के उपस्थिति संबंधी जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं। प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति कुछ नहीं।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत
हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

(आसिफ अहमद अब्बासी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)